संख्या-4/2017/596/सत्तर-2-2016-16(109)/2016

प्रेषक,

मधु जोशी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

2. वित्त अधिकारी/कुलसचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 04 मई, 2017

विषयः- प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा पुस्तकालय संवर्ग के कार्मिकों के मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय कर्मचारियों/ अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0, वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षक तथा प्राविधिक शिक्षक संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन शासनादेश संख्या-जी-1-953/दस-2008 दिनांक 08-12-2008 द्वारा किया गया था। उक्त निर्णय के क्रम में प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा पुस्तकालय संवर्ग के कार्मिकों के मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन शासनादेश संख्या-499/सत्तर-2-2010-16(21)/2009 टीसी-।।, दिनांक 11-03-2010 द्वारा किया गया था एवं मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु नगरों की श्रेणी में सशोधन शासनादेश संख्या-10/2015/421/सत्तर-2-2015-16(21)/2009 टी.सी.-।। दिनांक 22-05-2015 द्वारा लिया गया था।

2- वित (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासकीय पत्र संख्या-41/2016/ वे0आ0-2-813/दस-08(मु0स0स0)/2011 टी.सी. दिनांक 12-08-2016 द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार वर्तमान में अनुमन्य मकान किराया भत्तों की दरों में 20 प्रतिशत वृद्धि करते हुए दिनांक 01-08-2016 से मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-1/2016/जी-1-119/दस-2016-226/2008, दिनांक 12-08-2016 द्वारा किया गया है। अतः उक्त निर्णय के अनुसार यू0जी0सी0 वेतनमान से आच्छादित प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को अनुमन्य किराया भत्ता की दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मकान किराया भत्तों की दरों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

क्रमांक	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना		श्रेणी-ए, बी-1 तथा बी-2 के नगरों में		श्रेणी-सी के नगरों में		अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र	
		वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	8000-13500	15600-39100	6000	3240	3890	1620	1950	1080	1300
2	10000-15200	15600-39100	7000	3840	4610	1920	2310	1280	1540
3	12000-420-18300	15600-39100	8000	4540	5450	2270	2730	1510	1820
4	12000-420-18300	37400-67000	9000	6960	8360	3480	4180	2320	2790
5	12000-420-18300	37400-67000	10000	7110	8540	3550	4260	2370	2850
6	16400-450-20000 500-22400	37400-67000	10000	7630	9160	3810	4580	2540	3050
7	25000 नियत	75000 नियत	-	9840	11810	4920	5910	3280	3940

3- मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे। यह आदेश शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू माना जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-151/दस/17 दिनांक 31-03-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या-4/2017/596(1)/सत्तर-2-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी।
3. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त, अधिकारी/अनुभाग
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/बजट-2
5. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
6. अध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० ध्रुव पाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

संख्या-4/2017-596/सत्तर-2-2016-16(109)/2016

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

2. वित्त अधिकारी/ कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 04 मई, 2017

विषयः प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा पुस्तकालय संवर्ग के कार्मिकों के मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0,ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0, वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षक तथा प्राविधिक शिक्षक संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन शासनादेश संख्या-जी-1-953/दस-2008 दिनांक 08-12-2008 द्वारा किया गया था। उक्त निर्णय के क्रम में प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा पुस्तकालय संवर्ग के कार्मिकों के मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन शासनादेश संख्या-499/सत्तर-2-2010-16(21)/2009 टीसी-II, दिनांक 11-03-2010 द्वारा किया गया था एवं मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु नगरों की श्रेणी में संशोधन शासनादेश संख्या-10/2015/421/सत्तर-2-2015-16(21)/2009 टी.सी.-।। दिनांक 22-05-2015 द्वारा लिया गया था।

2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासकीय पत्र संख्या-41/2016/वे0आ0-2-813/दस-08 (मु0स0स0)/2011 टी.सी. दिनांक 12-08-2016 द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार वर्तमान में अनुमन्य मकान किराया भत्तों की दरों में 20 प्रतिशत वृद्धि करते हुए दिनांक 01-08-2016 से मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-1/2016/जी-1-119/दस-2016-226/2008, दिनांक 12-08-2016 द्वारा किया गया है। अतः उक्त निर्णय के अनुसार यू0जी0सी0 वेतनमान से आच्छादित प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को अनुमन्य किराया भत्ता की दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मकान किराया भत्तों की दरों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमांक	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना		श्रेणी-ए, बी-1 तथा बी-2 के नगरों में		श्रेणी-सी के नगरों में		अवर्गीकृत श्रेणी के श्रेत्र	
		वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	8000-13500	15600-39100	6000	3240	3890	1620	1950	1080	1300
2.	10000-15200	15600-39100	7000	3840	4610	1920	2310	1280	1540
3.	12000-420-18300	15600-39100	8000	4540	5450	2270	2730	1510	1820
4.	12000-420-18300	37400-67000	9000	6960	8360	3480	4180	2320	2790
5.	12000-420-18300	37400-67000	10000	7110	8540	3550	4260	2370	2850
6.	16400-450-20000-500-22400	37400-67000	10000	7630	9160	3810	4580	2540	3050
7.	26000 नियत	75000 नियत	--	9840	11810	4920	5910	3280	3940

-2-

Draft 2016

Scanned by CamScanner

3- मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे। यह आदेश शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू माना जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-151/दस/17 दिनांक 31-03-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(**मधु जोशी**)
विशेष सचिव।

संख्या- 4/2017 596(1)/सत्तर-2-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी।
3. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त, अधिकारी/अनुभाग
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/बजट-2
5. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
6. अध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 ध्रुव पाल)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner

Lucknow University Associated Colleges Teacher's Association (LUACTA)
लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा)

डा० मनोज पाण्डेय, अध्यक्ष
विधि विभाग,
जय नारायण पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, लखनऊ
मोबाइल : 9415494777, 9415066192
ईमेल : : drmanojpandeylko@gmail.com

डा० अंशु केडिया, महामंत्री
समाजशास्त्र विभाग,
ए०पी० सेन मेमो० गर्ल्स महाविद्यालय, लखनऊ
फोन : 0522-4002671
मोबाइल : 9415755051
ईमेल : akedia43@yahoo.in

पुनः-स्मरण

दिनांक 3.5.17

सेवा में,

माननीय प्रो.दिनेश शर्मा जी
उप-मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

विषय:--प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षको तथा पुस्तकालय संवर्ग के मकान किराया भतो की दरों में संशोधन के संबंध में ।

महोदय,

लुआक्टा माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्व प्रथम इस बात के लिये धन्यवाद ज्ञापित करती है, कि उन्होंने शिक्षक समुदाय के अपने साथी को उप-मुख्यमंत्री पद के साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग का भी मंत्री नियुक्त किया है यह शिक्षक समुदाय के लिये अत्यंत गर्व का विषय है, कि उन्हें भी आप जैसा सम्बेदनशील और शिक्षक हितो के प्रति समर्पित मंत्री मिला है । लुआक्टा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आप का कार्य काल यशस्वी हो ।

संघ आपका ध्यान वित विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1/20|16/जी-1-119/दस-2016-226/2008 दिनांक 12 अगस्त 2016 की ओर आकृष्ट करना चाहता है जिसके द्वारा प्रदेश के सभी राजकीय कर्मचारियो/अधिकारियों तथा विभिन्न्न विभागों के कर्मचारियो के मकान किराया भता की दरो में संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या जी-1-953/दस-2008 दिनांक 8 दिसंबर 2008 में अनुमन्य वर्तमान किराया भत्ता की दरो में 20% की वृद्धि की गई है । किन्तु प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षको तथा पुस्तकालय संबर्ग के मकान किराया भतो की दरों में संशोधन नहीं किया गया है ।जिससे इनमे घोर निराशा व्याप्त है संघ इस संबंध में निम्न अभिकथन करना चाहता है--

1--प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षको तथा पुस्तकालय संबर्ग को पुनरीक्षित वेतनमान शासनादेश संख्या 803/सत्तर-2-09-16(21)/2009 दिनांक 28 फरवरी 2009 तथा शासनादेश संख्या 1359/सत्तर-2-09-3(03)/96 टी०सी०||| दिनांक 13मई 2009 द्वारा प्रदान किया गया ।

Scanned by CamScanner

2—उक्त शासनादेश के प्रस्तर 1(3) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "अन्य भते उसी प्रकार दिये जायेंगे जैसे कि राज्य सरकार के कर्मचारियो को दिया जाता है |"

3-- प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षको तथा पुस्तकालय संबर्ग के मकान किराया भतो की दरों में संशोधन के संबंध में शासनादेश संख्या 449/सत्तर-2-2010-16(21)/2009टी०सी०-|| दिनांक 11 मार्च 2010 द्वारा मकान किराया भता का निर्धारण किया गया | जिसमे उल्लेख है कि "क्योकि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षको/पुस्तकालय संबर्ग के निर्धारण हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 28 फ़रवरी 2009 एवं 13 मई 2009 में यह आदेशित है कि यू.जी.सी. वेतनमान से आच्छादित पदों पर अन्य भते उसी प्रकार दिए जायेंगे,जैसे कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत किया जाता है |

4—किंतु वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1/20|16/जी-1-119/दस-2016-226/2008 दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा यू.जी.सी. वेतनमान से आच्छादित पदों को छोड़ दिया गया है | जिसके कारण प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षको तथा पुस्तकालय संबर्ग के कर्मचारियों को उक्त लाभ प्राप्त नहीं हो पायेगा |

अतः आप से आग्रह है कि उक्त शासनादेश में संशोधन करते हुए प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षको तथा पुस्तकालय संबर्ग के मकान किराया भतो की दरों में संशोधन का आदेश निर्गत करने का कष्ट करे | संघ आपका आभारी रहेगा |

सादर,

भवदीय

Manoj

(डा.मनोज पाण्डेय)

Scanned by CamScanner